



संबंध में:

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.

ध्यानार्थ:

वादी

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुपालन में, यह वाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक ..... को प्रेषित अपील डॉकेट संख्या.... के तहत अपील रेफरी द्वारा पारित (एक निर्णय) (बर्खास्तगी के एक आदेश) से उत्पन्न (दावेदार) (नियोक्ता) की याचिका पर विचार करने के लिए समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के समक्ष आया था। ;

यह प्रतीत होता है कि (दावेदार) (नियोक्ता) ने अपील डाकेट संख्या ..... के तहत दिनांक ..... को जारी अपील रेफरी के निर्णय के सम्बन्ध में एक याचिका दायर की है।

यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक .... को (दावेदार) (नियोक्ता) ने अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध प्रस्तुत किया है; और

आगे यह भी प्रतीत होता है कि (दावेदार) (नियोक्ता) को अपील वापस लेने की अनुमति देने से शामिल किसी भी पक्षकार के किसी भी वास्तविक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(दावेदार) (नियोक्ता) को अपनी याचिका वापस लेने के अनुरोध को **स्वीकृत** किया जाता है।

अपील निर्णय संख्या ..... में (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा दायर की गई याचिका **खारिज** की जाती है।

अपील रेफरी का (निर्णय) (खारिज करने का आदेश) **अंतिम** है।

महत्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें



उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.  
पृष्ठ दो का दो

समीक्षा बोर्ड के सदस्यों Susan Doe और John Doel ने इस अपील में भाग लिया और इस निर्णय से सहमत हैं।

यह.

समीक्षा बोर्ड

---

अध्यक्ष

### सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

एक कानूनी प्रतिनिधि जैसा कि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है (एक तीसरे पक्ष की कंपनी के नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा व्यवस्थापक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। पर्यवेक्षण वकील की नोटिस और / या प्रमाणीकरण 04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार लिखित में होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व N.C. Gen. Stat. Ch. 84 के अनुपालन में होना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार, जब एक पक्षकार का अपना एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त होता है, तो पक्षकार को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज या कोई सूचना केवल उसके कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाएगा। पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी प्रकार लागू और प्रभावी होगी, जैसे कि उसे सीधे पक्षकार को भेजा गया है।

30 जून, 2013 को या उसके बाद दायर किए गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय जो कि बोर्ड में अपील होने पर उलट जाती है, से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के तहत है। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।

**दावेदारों के लिए विशेष सूचना:** यदि आप अंतर्निहित दावे के संबंध में पहले से ही बेरोजगारी बीमा लाभ प्राप्त कर रहे थे या प्राप्त कर चुके हैं और यह उच्च प्राधिकरण निर्णय आपको ऐसे सभी लाभों या उसके एक हिस्से के अयोग्य या अपात्र घोषित करता है, तो अब आप N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अतिदेय भुगतान प्राप्त किए हुए हो सकते हैं। अगर इस उच्च प्राधिकरण निर्णय से अतिदेय भुगतान उत्पन्न होता है, आपको डिवीजन के लाभों की अखंडता / लाभ भुगतान नियंत्रण अनुभाग से अतिदेय भुगतान या अति भुगतान निर्धारण की एक अलग सूचना भेजी जाएगी। अतिदेय भुगतान या अतिदेय भुगतान निर्धारण की सूचना अन्य बातों के अलावा, आपकी अतिदेय राशि और किसी भी प्रभावी दंड निर्दिष्ट करेगी। कृपया ध्यान दें कि अतिदेय भुगतान को आप केवल एक ही तरीके से चुनौती दे सकते हैं, वह है इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए ऊपर दिए गए, और north carolina के कानून के अनुसार उच्चतर न्यायालय में एक याचिका दायर करना। अपनी याचिका में, आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप (1) अयोग्यता या पात्रता के मुद्दे को चुनौती दे रहे हैं और / या (2) आप को प्राप्त हुए लाभों के परिणामी अतिदेय निर्धारण को चुनौती दे रहे हैं।

याचिका दायर:

निर्णय प्रेषित किया गया: